

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2020—आषाढ़ 12, शक 1942

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

क्र. 756-1333-2019-17-m-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-एक में, शीर्षक "समूह "ख"-गैर चिकित्सकीय" में, अनुक्रमांक 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"28.	सहायक प्रबंधक (प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं प्रत्येक सिविल अस्पताल (न्यूनतम 100 बिस्तर) के लिये एक पद (कुल 33 पद))	84	द्वितीय-श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100+ग्रेड पे 5400)"

2. अनुसूची-दो में, शीर्षक "समूह "ख"—गैर चिकित्सकीय" में, अनुक्रमांक 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
				सीधी भरती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"28.	सहायक प्रबंधक (प्रत्येक जिला चिकित्सा लय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं प्रत्येक सिविल अस्पताल (न्यूनतम 100 बिस्तर) के लिये एक पद (कुल 33 पद))	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा-द्वितीय श्रेणी	84	75%	—	25%	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन/ प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र हैं।"

3. अनुसूची-तीन में, शीर्षक "समूह "ख"--गैर चिकित्सकीय" में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7	सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन/प्रशासन/सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि।</p> <p>सामग्री प्रबंधन/वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा।</p> <p>अथवा</p> <p>100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालय में प्रशासन का 02 या इससे अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों/सेना के पूर्व कार्मिकों को अधिमान दिया जाएगा।"</p>	

Bhopal, the 2nd July 2020

No. 756-1333-2019-17-m-1.- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, Makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Schedule-I, in the heading "Group "B"- Non Medical", for serial number 28 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating there to, shall be substituted, namely :-

S.No.	Name of Post included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"28.	Assistant Manager (One post for each District Hospital (Total 51 Posts) and One post for each Civil Hospital (Minimum 100 beds) (Total 33 Posts)	84	Class-II	P.B. (15600-39100+Grade Pay 5400)"

2. In Schedule-II, in the heading "Group "B"- Non Medical", for serial number 28, and entries relating thereto, the following serial number and entries relating there to, shall be substituted, namely :-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment (See rule 6(1) (a))	By Promotion (See rule 6(1)(b))	By Transfer of persons from other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"28.	Assistant Manager [(One post for each District Hospital (Total 51 Posts) and One post for each Civil Hospital (Minimum 100 beds) (Total 33 Posts)]	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Service (Gazette d) s-class II	84	75%	-	25%	Those Medical Officer who possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health management or Hospital Management/ Administration course, are eligible for Deputation."

3. In Schedule-III, in the heading "Group "B"- Non Medical", for serial number 7, and entries relating thereto, the following serial number and entries relating there to, shall be substituted, namely :-

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Assistant Manager	21 years	40 years	Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Public Health Management or Hospital Management/Administration/ Materials management. Preference shall be given to candidates having Post Graduate degree/diploma in materials management/Finance & Accounts Management. Or Preference shall be given to candidates/ex-army personnel having 02 or more years of experience of administration of hospital of 100 or more beds."	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे, उपसचिव.